



2026:AHC-LKO:12337-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

जनहित याचिका संख्या - 141/2026

श्रीमती मंजू देवी याची (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव, गृह मंत्रालय, लखनऊ एवं 2 अन्य के माध्यम से विपक्षी (गण)

याची के अधिवक्ता: रविंद्र कुमार शुक्ला

विपक्षी के अधिवक्ता: सुश्री पारुल, ए.सी.एस.सी. (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता), अतुल कुमार दुबे
मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

1. यह याचिका, जो कथित तौर पर जनहित में है, याची द्वारा विपक्षी संख्या 2/उप-जिलाधिकारी (एस.डी.एम.), तहसील कुंडा, जनपद - प्रतापगढ़ को अनुबंध-1 के रूप में दाखिल लंबित प्रतिवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को याची द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर निर्णय लिए जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।
3. इसके दृष्टिगत, याचिका निस्तारित की जाती है। विपक्षी संख्या 2 को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर लंबित प्रतिवेदन पर निर्णय लें और उसकी सूचना याची को पंजीकृत डाक के माध्यम से दें।
4. उपरोक्त निर्देशों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

फरवरी 17, 2026

एन.डी./आशीष